आर्थिक अपराध पर शिकंजा

कानून व्यवस्था पर बैठक

- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की पुलिस अफसरों के साथ बैठक
- आर्थिक अपराध पर अंकुश के लिए गठित होगा स्पेशल विंग
- मादक पदार्थों का धंधा करने वालों से लेकर ठगी करने वाले तक नपेंगे
- मनरेगा, इंदिरा आवास के बिचौलियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

आर्थिक अपराध से निपटने का ऐसा होगा स्वरूप

● मुख्यालय स्तर पर एक स्पेशल विंग होगी ● हर जिले में इसकी एक यूनिट काम करेगी ● मनी लाउंडरिंग की तफ्तीश के लिए ट्रेनिंग होगी ● जिलों में इंस्पेक्टर स्तर के अफसरों की टीम होगी ● बड़े मामलों की जांच मुख्यालय स्तर पर होगी ● जिलों में लॉ ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे ● एसपी चार्टर्ड एकाउंटेंट भी रख सकेंगे ● टेक्निकल एक्सपर्ट की भी मदद ली जाएगी ● कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट की तरह आर्थिक अपराध के मामलों में भी प्रीवेंटिव डिटेंशन होगा ● आरोप साबित होने पर पुलिस संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव देगी

गुरुवार को सूबे के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ में हैं पुलिस महानिदेशक अभयानंद।

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

आर्थिक अपराध पर शिकंजा कसेगा। ऐसे मामलों में भी संपत्ति जब्त होगी। इसके लिए स्पेशल विंग का गठन होगा और जिलों में इसकी यूनिट बनाई जाएगी। इसके दायरे में मादक पदार्थों का धंधा करने वालों से लेकर ठगी, मानव व्यापार, मनी लाउंडरिंग और मिलावटी सामान का कारोबार करने वाले सहित इस तरह के दूसरे धंधेबाज होंगे। दूसरी ओर गरीबों की योजनाओं में पैसा और रुतबा बना रहे बिचौलियों को चिह्नित कर सीआरपीसी की धारा 110 के तहत बांड भरवाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अंतिम दिन पुलिस अफसरों के साथ बैठक में शामिल होने जब सचिवालय के सभा कक्ष में पहुंचे तो कयास लगाया जा रहा था कि बात लॉ एण्ड आर्डर पर होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराध की नकेल कसने पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आर्थिक अपराध और उससे उत्पन्न होने वाली विधि-व्यवस्था की समस्या पर पूरा ध्यान दें। उनकी भी खबर लीजिए जो मनरेगा और इंदिरा आवास जैसी योजनाओं में बिचौलिया बन पैसा कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिचौलिए और भ्रष्ट अफसरों के कारण लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करें, ताकि लोगों में यह संदेश जाए कि गड़बड़ी की तो बख्शे नहीं जाएंगे। बैठक में डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी के अलावा जिलों के एसपी मौजूद थे। मुख्यमंत्री करीब पौने दो घंटे तक बैठक में रहे और उनका पूरा फोकस इन्हीं मुद्दों पर रहा। बैठक के दौरान ही रणनीति बनी और फैसला भी हो गया। यह तय किया गया कि आर्थिक अपराध से निपटने के लिए स्पेशल विंग का गठन होगा और सभी जिलों में इसकी यूनिट होगी।

स्पीडी ट्रायल

सभी एसपी को निर्देश दिया गया कि स्पीडी ट्रायल की गति तेज करें। साथ ही कोर्ट में स्पीडी अपील की दिशा में भी कार्रवाई तेज करें। इसके लिए उन्हें एक ब्रीफ बनाकर भी दी गई है।